न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 17 सन 2026

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. अमीचन्द पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी।
3. सुल्तान पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी।
4. बाधु पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
5. पृथ्वीराज पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
6. मांगीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर।
7. बुधराम पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 29/05/26

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 296/262 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 6.5770 है० भूमि सायला संख्या 1 ता 2 व तरतीवी गैरसायल संख्या 2 व 3 के मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान के पड़ोसी काश्तकारों ने सायल की खातेदारी कृषि भूमि की सीव डोल तोड़कर सायल की भूमि में नाजायज रूप से काश्त करते बलें आ रहे है तथा नाजायज रूप से काबिज होने की फिराक में है। सायलान रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2072–2075 के खाता संख्या 296/262 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 6.5770 है० भूमि की पैमाईश करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी कायम) करवाना चाहते है। श्रीमान् तहसीलदार नोहर तहसील नोहर के आदेश क्रमांक 2026/29267/10 दिनांक 31.03.2026 की अनुपालना में राजस्व पटवारी ने रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खसरा नं. 466 की 0.822 है०, 467 की 2.0870 है०, 618 की 2.4030 है0, 619/1 की 1.2650 है० कुल किता 4 का रकबा 6.577 है० भूमि का सीमा ज्ञान मुताबिक नक्शा लट्ठा व राजस्व रिकार्ड के अनुसार किया गया मौके पर मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये। नकल फर्द मौका व नक्शा संलग्न दरख्वास्त है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवा देवे जिस पर अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी स0 4 ता 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित एवं निवेदन किया की अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 की कृषि भूमि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर में स्थित है एंव प्रार्थी सं. 1 रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 134/325 की 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 393/247 की 1.1630 हैक्टर भूमि बादू देवी खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 119/104 के ख.न. 616/1 की 2.5300 हैक्टर भूमि का प्रार्थी सं. 2 पृथ्वीराज पुत्र बीरबलराम जाति जाट खातेदार है एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 18/104 की कुल तादादी 7. 0820 हैक्टर भूमि का मांगीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर खातेदार है एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 140/104 की कुल तादादी 2.3420 हैक्टर भूमि के बुधराम पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर खातेदार कश्तकार है। प्रार्थीगण सं. 1 ता 4 सायलान के खेत के चिपते हुये पड़ौसी काश्तकार है तथा सभी ने तहसीलदार राजस्व नोहर को अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर रखा है तथा प्रार्थीगण सं. 1 ता 4 भी अपनी भूमि का सीमाकन करवाकर पत्थर गढी करवाना चाहता है प्रार्थीगण की कृषि भूमि सायलान की कृषि भूमि के चिपते हुये तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का सीमाकन करवाकर पत्थर गढी करवाना चाहते है अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्षों द्वारा निवेदन किया गया की उक्त समस्त भूमि की पत्थरगढ़ी की जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 296/262 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 6.5770 है० भूमि सायला संख्या 1 ता 2 व तरतीवी गैरसायल संख्या 2 व 3 के मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं प्रार्थी सं. 1 रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 134/325 की 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 393/247 की 1.1630 हैक्टर भूमि बादू देवी खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 119/104 के ख.न. 616/1 की 2.5300 हैक्टर भूमि का प्रार्थी सं. 2 पृथ्वीराज पुत्र बीरबलराम जाति जाट खातेदार है एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 18/104 की कुल तादादी 7. 0820 हैक्टर भूमि का मांगीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर खातेदार है एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 140/104 की कुल तादादी 2.3420 हैक्टर भूमि के बुधराम पुत्र लाधुराम जाति जाट साकिन नीमला तहसील नोहर खातेदार कश्तकार है।

सायलान का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायलान उसी के अनुसार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है गैरसायलान का कथन है कि गैरसायलान की भूमि सायलान के चिपते हुए है सायलान की भूमि के साथ साथ गेरसायलान की भूमि की भी पत्थरगढ़ी की जावे अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थी के भूमि के साथा साथ गैरसायलान की भूमि की पैमाईश की जाती है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायलान का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 296/262 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 6.5770 है० भूमि, रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 134/325 की 0.7590 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 393/247 की 1.1630 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 119/104 के ख.न. 616/1 की 2.5300 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 18/104 की कुल तादादी 7. 0820 हैक्टर भूमि तथा रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता सं. 140/104 की कुल तादादी 2.3420 हैक्टर भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान/प्रार्थी की भूमि की चिपते पड़ौसी काश्तकारों की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित पैमाईश समय पर किया जाना सुनिश्चित करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर